



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फैक्स-2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 426/02/2018/प.गो.

रायपुर, दिनांक 22-02-2018

-:: विज्ञप्ति ::-

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2018 को आयोजित राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2017 के दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्र (सामान्य अध्ययन एवं योग्यता परीक्षा) के मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प/विकल्पों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन आपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत हैं—

- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि—
- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि—
- आयोग को ऑनलाइन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण प्राप्त होने की अंतिम तिथि—

26 फरवरी 2018 अपराह्न 12:00 बजे से
07.मार्च 2018 रात्रि 12:00 बजे तक
10 मार्च 2018 शाम 05:00 बजे तक

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।


परीक्षा नियन्त्रक
22-02-18

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2017 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने

संबंधी निर्देश


महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि – 26 फरवरी 2018 अपराह्न 12:00 बजे से
ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि – 07 मार्च 2018 रात्रि 12:00 बजे तक
आयोग को ऑनलाइन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण प्राप्त होने की तिथि– 10 मार्च 2018 शाम 05:00 बजे तक

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

1. परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के समय प्राप्त User ID तथा Password की प्रविष्टि कर लॉगिन करना होगा।
3. लॉगिन करने के पश्चात प्राप्त वेब पेज पर अभ्यर्थी को निम्न टेब (खण्ड) प्राप्त होंगे–
 - Application form
 - File Your Objection
 - Print Receipts
4. प्रथम टेब (Application form) में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के दौरान दी गई महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारियों का परीक्षण हेतु अवलोकन मात्र कर सकेंगे।
5. द्वितीय टेब (File Your Objection) में अभ्यर्थी को विषय, प्रश्न–पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न–पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक की प्रविष्टि करने के पश्चात, आपत्ति के प्रकार का चयन करना होगा। आपत्ति के प्रकार निम्नवत हो सकते हैं–
 - a. प्रश्न गलत है।
 - b. प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है।
 - c. प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है
 - d. प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है।
 - e. आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है।
 - f. प्रश्न के हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता है।
6. यदि अभ्यर्थी द्वारा “आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है” को चुना जाता है तो उसे स्वयं के अनुसार सही उत्तर विकल्प की प्रविष्टि करनी होगी।
7. यदि अभ्यर्थी द्वारा “प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है” को चुना जाता है तो उसे स्वयं के अनुसार सही उत्तर विकल्पों की प्रविष्टि/चयन करना होगा।
8. किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति के समर्थन में प्रमाण स्वरूप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले सुसंगत अभिलेख के स्रोत का विवरण प्रविष्ट करना होगा जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरूप प्रयुक्त अभिलेख से संबंधित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, संस्करण, प्रकाशन तिथि, पृष्ठ संख्या इत्यादि का उल्लेख करना होगा तथा संबंधित पृष्ठ की फोटोप्रति आयोग को प्रेषित करनी होगी। यदि प्रमाण स्वरूप प्रेषित किया जाने वाला अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिया गया हो तो अभ्यर्थी को अभिलेख के लिंक का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि प्रमाण वेबसाइट से लिया गया हो तो आयोग को उस वेबसाइट का अथवा कंटेन्ट का लिंक न प्रेषित किया जाए अपितु वेबसाइट से कंटेन्ट को डाउनलोड कर प्रिंट कर आयोग को प्रेषित करें।

9. अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न रूपये 50/- दावा—आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही प्रत्येक लॉगिन पर रूपये 17/- पोर्टल शुल्क एवं चुने गए भुगतान के तरीके के आधार पर पेमेन्ट गेटवे शुल्क देना होगा।
10. एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बार-बार लॉगिन कर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रूपये 17/- पोर्टल शुल्क एवं चुने गए भुगतान के तरीके के आधार पर पेमेन्ट गेटवे शुल्क का भुगतान करना होगा।
11. समस्त ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने तथा पोर्टल शुल्क व पेमेन्ट गेटवे शुल्क का भुगतान करने के पश्चात दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्नवार रसीद/पावती का प्रिंट पृथक—पृथक प्राप्त किया जाना होगा, इस हेतु लिंक तृतीय टेब (Print Receipts) पर प्राप्त होंगे। प्रत्येक रसीद/पावती के साथ केवल प्रमाण स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा, जो रसीद/पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हों। रसीद/पावती के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज दस्तावेजों को संलग्न करने के पश्चात पेज नम्बरिंग की जानी होगी। पृष्ठ क्रमांक का उल्लेख रसीद/पावती पर भी किया जाना होगा।
12. अन्य किसी प्रश्न से संबंधित अथवा दर्ज न किए गए दस्तावेज को रसीद/पावती के साथ संलग्न करने पर आयोग द्वारा आपत्ति को अस्वीकार किया जा सकेगा।
13. उक्त प्रकार प्रश्नवार रसीद/पावती तथा प्रमाण स्वरूप दर्ज संबंधित दस्तावेजों को एक साथ स्टेपल/पिन/टैग कर अलग-अलग सेट बनाने होंगे तथा उन्हें एक ही लिफाफे में भरकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि तक डाक से/स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।
14. अभ्यर्थी द्वारा जिस लिफाफे में ऑनलाइन आपत्ति की रसीद/पावती के साथ अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज, प्रेषित/प्रस्तुत किए जाए उस लिफाफे के उपर अभ्यर्थी का नाम, रोलनंबर तथा रसीद/पावती का क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य होगा।
15. अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय अपने पास संबंधित प्रश्न—पत्र तथा आपत्ति के समर्थन में आयोग को प्रेषित किए जाने वाले दस्तावेजों की पेज नंबरिंग करके अपने पास रखें। आयोग को प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक पृष्ठ के उपरी हिस्से पर विषय, प्रश्न—पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न—पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें।
16. ऑनलाइन आपत्ति की रसीद/पावती के साथ आपत्ति के समर्थन में प्रयुक्त दस्तावेज लगाकर उन पर पेज नंबरिंग करना अनिवार्य होगा साथ ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय यह अंकित करना भी अनिवार्य होगा कि किस आपत्ति के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों में से कहां से कहां तक की पृष्ठ संख्या वाले पेज संलग्न किए गए हैं। इस निर्देश का पालन नहीं करने पर सरसरी तौर पर ही आपत्ति अस्वीकार कर दी जाएगी।
17. आपत्ति के समर्थन में आयोग कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक पन्ने तथा पृष्ठ के उपरी हिस्से पर विषय, प्रश्न—पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न—पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक लिखा होना अनिवार्य है।
18. यदि दर्ज की गई आपत्ति के समर्थन में प्रेषित दस्तावेज अथवा अभिलेख सुसंगत न हो तो आयोग द्वारा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
19. कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
20. अभ्यर्थी यह भली-भांति समझ लें कि यदि ऑनलाइन आपत्ति शुल्क की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रेषित आपत्ति कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी।
21. अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान की स्थिति में प्राप्त होने वाली पावती/रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** मुद्रित होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयमेव खारिज हो जाएगी एवं इस संदर्भ आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
22. नियत तिथि के पश्चात आयोग कार्यालय को प्राप्त पावती/रसीद युक्त प्रमाण स्वरूप प्रेषित दस्तावेजों/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां स्वयमेव निरस्त हो जाएंगी।


परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर